न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या–552/2020
अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) नीरज कुमार ऋषिदेव, पे0–राजेन्द्र ऋषिदेव, सा0–हाँसा डाकबंगला, वार्ड नं0–03, थाना–रानीगंज जिला–अररिया

(2) रबिन कुमार, पिता–उपेन्द्र ऋषिदेव, सा0–हाँसा डाकबंगला, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया

(3) दीपक कुमार, पिता–स्व0 दुखा प्रसाद ....विपक्षीगण

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
05.08.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1000/ मद्यनिषेध, दिनांक–17.10.2020) के आलोक में रानीगंज थाना कांड संख्या–162/2020, दिनांक–17.04.2020, धारा–30(क)/37(बी) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त प्लेटिना मोटर साईकिल पंजीयन सं0–BR38B1800, चेचिस सं0–MD2000ZZZPWA63457, ईजन सं0–अंकित नहीं को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी सं0–01 एवं 02 को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से जब्त वाहन के मालिक के नाम एवं पता के संबंध में विस्तृत विवरणी की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक–81/जि0परि0, दिनांक–11.01.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मोटर साईकिल पंजीयन सं0–BR-38B/1800, का चेसीस सं0–MD2DDDZZZPWA63457 एवं इंजन संख्या–DUMBPA75088 है, जो जब्त मोटर साईकिल के चेसीस संख्या एवं ईजन संख्या से भिन्न है तथा वाहन मालिक का नाम–दीपक कुमार, पिता–स्व0 दुखा प्रसाद, सा0–गीदवास, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया है। फलस्वरुप जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से पुनः जब्त मोटर साईकिल का केवल चेसीस संख्या एवं ईजन संख्या प्रदर्शित करते हुए वाहन मालिक का नाम एवं पता की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 47/जि0परि0, दिनांक–11.01.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित वाहन के वाहन मालिक के नाम एवं पता का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्प्यूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। विपक्षी सं0–03 को भी सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षियों की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं की गई। (2) "दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण" समाचार पत्र में दिनांक 09.04.2021 एवं 10.04.2021 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई समुचित पैरवी नहीं की गयी है। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरुप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
05.08.2021	मंडल को एकपक्षीय सुना गया। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक–1000/मद्यनिषेध, दिनांक–17.10.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि पुलिस अवर निरीक्षक, रानीगंज थाना दिनांक–17.04.2020 को समय 10.30 बजे दिवा गश्ती में थाना सशस्त्र बल के म0सि0 42 रबीता कुमारी, म0सि0 136 ज्योति कुमारी, म0सि0201 निभा कुमारी, म0सि0204 अंशु कुमारी के साथ प्रस्थान किया। पुलिस अवर निरीक्षक, रानीगंज थाना समय करीब 12:45 बजे रानीगंज बाजार में था। दूरभाष पर उन्हें सूचना मिली कि लॉकडाउन को लेकर गीदवास चौक पर लगाया गया नाका पर चेंकिग के दौरान मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति शराब के साथ पकड़ाया है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु रानीगंज बाजार से तत्काल प्रस्थान किया। समय करीब 13:00 बजे गीदवास नाका पर पहुँचा तो देखा कि दो व्यक्ति को नाका पर प्रतिनियुक्त बल में शामिल सहायक अवर निरीक्षक भोला राम, चौकीदार 5/2 पारस पासवान, दफादार 09 जहांगीर बैठा एवं चौकीदार 7/1 श्रीनाथ पासवान के द्वारा पकड़ कर रखा गया है तथा बताया गया कि दोनों को चेंकिग के दौरान 500 मिली लीटर देशी चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया। पॉलीथीन में लेकर प्लेटिना मोटर साईकिल पंजीयन संख्या– BR38B1800 पर सवार होकर आ रहा था। वहॉ उपस्थित लोगों में से दो स्वतंत्र साक्षी–1. रूपेश रजक, पिता–स्व0 फुलेश्वर बैठा, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया एवं 2. दीनानाथ साह, पिता–स्व0 कैलाश साह, सा0–गीदवास, वार्ड नं0–07, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया के समक्ष विधिवत् जमा तलाशी लिया गया। पकड़ाये गये व्यक्ति 1. नीरज कुमार ऋषिदेव, पे0–राजेन्द्र ऋषिदेव, सा0–हॉसा डाकबंगला, वार्ड नं0–03, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया के पेंट के पॉकेट से करीब 500 मिली लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ तथा मोटर साईकिल पर सवार दूसरा व्यक्ति ने अपना नामः–रबिन कुमार, पिता–उपेन्द्र ऋषिदेव, सा0–हॉसा डाकबंगला, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया बताया। बरामद शराब एवं प्लेटिना मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–BR38B1800, चेचिस संख्या–MD2000ZZZPWA63457, ईजन नंबर–अस्पष्ट को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या–162/20, दिनांक–17.04.2020, धारा–30(क)/37(बी) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त प्लेटिना मोटर साईकिल वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त प्लेटिना मोटर साईकिल वाहन राजसात	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
05.08.2021		

होने योग्य है। जब्त प्लेटिना मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38B 1800 को राजसात किया जाय।

(5) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त प्लेटिना मोटर साईकिल का उपयोग कुल-500 मिली लीटर देशी चुलाई शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त शराब का जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है, जिसके अनुसार जब्त शराब मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। जब्त मोटर साईकिल का कोई दावेदार द्वारा इस न्यायालय में दावा नहीं किया गया है। जब्त प्लेटिना मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38B1800, चेसिस सं0-MD2DDDZZZPWA63457, ईंजन सं0-स्पष्ट अंकित नहीं, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार रानीगंज थाना कांड संख्या-162/2020, दिनांक-17.04.2020 में **जब्त प्लेटिना मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38B1800, चेसिस सं0-MD2000ZZZPWA63457, ईंजन सं0-स्पष्ट अंकित नहीं को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 2046/विधि, अररिया, दिनांक 11.9.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया